



☎0522-2286709-10

फैक्स-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

website-www.upsuda.org

पत्रांक-²²⁹¹ /241/NULM/तीन/2001(SM&ID)

दिनांक-28/8/15

कार्यालय ज्ञाप

राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 के अन्तिम नोटिस सं0-1876/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 04.08.2015 एवं नोटिस संख्या-1514/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 14.07.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त अन्तिम नोटिस के माध्यम से निम्नांकित संस्था को अन्तिम नोटिस निर्गत के 10 दिवसों में एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण न करने पर इम्पैनलमेंट निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रकरण अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा के निर्देश दिये गये थे। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नीचे लिखी संस्थाओं द्वारा एग्रीमेन्ट की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। इस प्रकार एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित संस्थाओं का उनके सम्मुख लिखे शहरों हेतु सन्दर्भ संस्था के रूप में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत आर0एफ0पी0 संख्या-3849/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 13.01.2015 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदाओं के परिणाम पत्रांक सं0-275/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 के द्वारा किया गया इम्पैनलमेंट एवं कार्यादेश संख्या-626/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 द्वारा शहर विशेष में एस0एच0जी0 गठन हेतु आवंटित लक्ष्यों को निरस्त करते हुए धरोहर राशि रू0 10,000/- जब्त की जाती है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	इम्पैनलड शहर	आवंटित लक्ष्य
1	विकलांग मन्दबुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल उत्तराखण्ड।	हाथरस	105
2	श्री सेवाश्रम ग्रामोत्थान समिति, मुजफ्फरनगर।	शागली	36
3	बेगम सेवा संस्थान, फर्रुखाबाद।	कन्नौज	62
4	सिटीजन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लखनऊ।	आगरा	277
5	ग्राम सेवा संस्थान, आजमगढ़।	मऊ, बलिया, गाजीपुर	371
6	शिवम ग्राम उत्थान सेवा संस्थान, आजमगढ़।	वाराणसी, आजमगढ़, संत रविदास नगर	237

अतः उक्त इम्पैनलमेंट निरस्त किये जाने हेतु उल्लिखित संस्थाएं स्वयं उत्तरदायी हैं। जिन्होंने अनेकोंबार सम्पर्क नोटिस एवं अन्तिम नोटिस निर्गत के उपरान्त भी एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है। अब इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के उत्तर/अभिलेख को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।

3. वित्त नियंत्रक, सूडा को घरोहर राशि जबा की कार्यवाही हेतु।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा हाथरस, शामली, कन्नौज, आगरा, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर एवं आजमगढ़ उ०प्र०।
5. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा हाथरस, शामली, कन्नौज, आगरा, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर एवं आजमगढ़ उ०प्र०।
6. परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी, डूडा हाथरस, शामली, कन्नौज, आगरा, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर एवं आजमगढ़ उ०प्र०।
7. विकलांग मन्दबुद्धि कल्याण समिति, रामपुर रोड, हल्द्वानी सिंधी बिल्डिंग, मुगली गार्डन, नैनीताल, उत्तराखण्ड, श्री सेवाश्रम ग्रामोत्थान समिति 1175, साउथ सिविल लाईन, नुजफ्फरनगर, बेगम सेवा संस्थान कटरा बख्शी, नयी बस्ती, फर्रुखाबाद, सिटीजन डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट 266/289, भदेवा बाजारखाला, लखनऊ, ग्राम सेवा संस्थान, ग्राम-करतारपुर, पो०-भनवरनाथ, आजमगढ़ एवं शिवम ग्राम उत्थान सेवा संस्थान, ग्राम-माधवपुर, पो०-महाराजपुर, आजमगढ़।
8. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक